

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 294 / 2023

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

जगदीश पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. श्याम सुन्दर पुत्र रामकुमार
2. कलावती पुत्री नारायण
3. प्रकाश पुत्र नारायण (विलोपित)
4. बृजलाल पुत्र नारायण
5. बन्तोदेवी पुत्री नारायण
6. रामकुमार पुत्र नारायण
7. रामेश्वरी पुत्री नारायण
8. सावित्री पुत्री नारायण (विलोपित)
9. कृष्ण लाल पुत्र हरिराम
10. जोतराम पुत्र हरिराम
11. श्योपतराम पुत्र हरिराम
12. दलीप पुत्र बदीप्रसाद
13. पूनम पुत्र अर्जनराम
14. प्रदीप पुत्र अर्जनराम
15. सरोज पत्नी अर्जनराम
16. बालकृष्ण पुत्र रामदयाल
17. मैनावती पत्नी भागीरथ
18. मोहनजीत पुत्र भागीरथ
19. राजेन्द्र पुत्र भागीरथ
20. गुरलाल पुत्र हरमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
21. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा संगरिया।
22. बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया।
23. पंजाब नेशनल बैंक शाखा शनि मन्दिर रोड संगरिया।
24. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 16.12.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे वहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विवेक बुढानियां वकील प्रतिवादी 1 मिन जानिब मुदायला पेंश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 10/9

1. जगदीश पुत्र बनवारी लाल जाति जाट सा.नाथवाना राहिन पीएनबी शाखा शनि मन्दिर सेड संगरिया की कब्जा काश्त:-

प.न.	मु.न.	किला. नं.
168/179	47	3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 7.8/0.253 है.प्र.

2. श्यामसुन्दर पुत्र रामकुमार जाति जाट सा.नाथवाना की कब्जा काश्त :-

प.न.	मु.न.	किला. नं.
168/178	35	18/1/0.101, 23/1/0.1015

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

केलावती, बन्तोदेवी, रामेश्वरी, सावित्री पुत्रीया नारायण, प्रकाश, बृजलाल, रामकुमार, पि.हरिराम जाति जाट गुरलाल पुत्र हरमन्द जाति जाट सादलीप पुत्र बदीप्रसाद, पूनम, प्रकाश पि.अर्जनराम, बालकृष्ण पुत्र रामदयाल, मैनावती पत्नी भागीरथ, मोहनजीत, राजेन्द्र पि.भागीरथ सरोज पत्नी अर्जनराम जाति जाट सा. नाथवाना की कब्जा काशत :-

प.न.	मु.न.	किला न.
168/178	35	14, 15, 17 / 0.253 प्र. 18 / 2 / 0.152, 22 / 0.253, 23 / 2 / 0.1515 24 / 0.253 है.
168/179	47	2 / 1 / 0.215, 2 / 2 / 0.038, 9 / 0.253


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः सस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3317 दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरहं फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

उपरोक्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/12/2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।




(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया